



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24112022-240533
CG-DL-E-24112022-240533

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5228]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 23, 2022/अग्रहायण 2, 1944

No. 5228]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 23, 2022/AGRAHAYANA 2, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2022

का.आ. 5457(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट जिला हैलाकांडी (NH 37), के कि.मी. 12.900 से 18.000 असम राज्य के तक के भुखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन कि तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH37 तक की भूमि का अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	अतिरिक्त उपायुक्त	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH37 के	असम	हैलाकांडी	अलगापुर	1 बकरी ह्वार भाग I

		कि.मी. 12.9 से 18 तक			
--	--	----------------------------	--	--	--

[फा. सं. PMU-Silchar/Feedback/ LA/PKG2/2022-23]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd November, 2022

S.O. 5457(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from Km. 12.900 to Km. 18.000 of Hailakandi District (NH37) in the State of ASSAM for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of ASSAM.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH37 in the State of ASSAM.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Additional Deputy Commissioner	12.9KM To 18KM	ASSAM	HAILAKANDI	Algapur	1 Bakri Hawar Pt I

[F. No. PMU-Silchar/Feedback/ LA/PKG2/2022-23]

RAJESH GUPTA, Director